



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 29, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. सुप्रीम कोर्ट का छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का निर्देश	2
2. औद्योगिक वृद्धि 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुँची	4
3. तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े कर्नाटक, पैनल ने दिया निर्देश	5
3A. केरल में दुर्लभ अमीबिक मस्तिष्क संक्रमण की सूचना	6
4. डिजिटल एक्सटॉर्शन के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का दुरुपयोग: दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया	7
5. 'वंदे मातरम' के प्रति अनादर को दंडित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के डेटा का विश्लेषण	9
6. ICMR की ओरल थेरेपी SHetA2 गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (Cervical Cancer) के खिलाफ आशाजनक साबित हुई ...	10
7. शहरी शासन घाटा और भारत में अग्नि सुरक्षा	12
8. विकेंद्रीकरण बनाम नौकरशाही: पश्चिम बंगाल पंचायत संशोधन संकट	13
9. केंद्र ने पश्चिमी घाट इको-ज़ोन पर मसौदा अधिसूचना को फिर से जारी किया	14
10. अध्ययन में पाया गया कि भारत में कई डेंगू वायरस स्ट्रेन एक साथ घूम रहे हैं	16
11. ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने सौर ऊर्जा में कटौती की	17
12. तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र के मेकेदातु बांध रुख की समीक्षा का आग्रह किया	18



1. सुप्रीम कोर्ट का छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का निर्देश

मुख्य बातें और सारांश

- **नाबालिगों की तत्काल रिहायी:** सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छात्र प्रदर्शनों के सिलसिले में हिरासत में लिए गए सभी किशोरों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

- **बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा:** शीर्ष अदालत ने पुलिस को उन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बलपूर्वक कदम उठाने से रोक दिया जिनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।
- **स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव:** कोर्ट ने पुलिस की ज्यादतियों के कथित मामलों की निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय, स्वतंत्र टीम के गठन की अपनी मंशा व्यक्त की।
- **प्राथमिकी (FIR) जांच जारी रखना:** राज्य के अधिकारियों को प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई।
- **संवैधानिक अधिकार सुरक्षित:** पीठ ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
- **आदेश को लेकर चिंताएं:** नागरिक समाज समूहों ने चल रही एफआईआर जांच की अनुमति दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि यह बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के राजनीतिक आश्वासनों के विपरीत है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **बलपूर्वक कार्रवाई (Coercive Action):** कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों के खिलाफ शारीरिक बल, हिरासत, गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े कानूनी उपाय।
- **किशोर/नाबालिग (Juvenile/Minor):** भारतीय कानून (किशोर न्याय अधिनियम) के तहत, कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- **स्वतंत्र जांच (Independent Investigation):** स्थानीय प्रशासन या राजनीतिक अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त, एक स्वायत्त निकाय द्वारा संचालित निष्पक्ष जांच।



कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b):** अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या पुलिस हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है, मानक पुलिस थानों या जेलों में नाबालिगों की हिरासत को प्रतिबंधित करता है।
- **सीआरपीसी की धारा 41A / बीएनएस की धारा 35:** पुलिस गिरफ्तारी से पहले पेश होने के नोटिस से संबंधित वैधानिक सुरक्षा उपायों और दिशानिर्देशों को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कानून प्रवर्तन की अनिवार्यताओं को मौलिक संवैधानिक गारंटियों के साथ संतुलित करता है। किशोर अधिकारों की रक्षा करके और राज्य की ज्यादाती की स्वतंत्र जांच अनिवार्य करके, न्यायपालिका संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार को बनाए रखते हुए जवाबदेही को मजबूत करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन, संविधान और राजव्यवस्था):** मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19 और 21), न्यायिक oversight, संवेदनशील वर्गों (किशोरों) का संरक्षण, और पुलिस सुधार/जवाबदेही।

2. औद्योगिक वृद्धि 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुँची

मुख्य बातें और सारांश

- **शिखर औद्योगिक वृद्धि:** भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जून 2026 में 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुँच गया, जो जुलाई 2024 के बाद से सबसे तेज विस्तार को दर्शाता है।
- **क्रमिक तेजी:** औद्योगिक उत्पादन में मई 2026 में दर्ज 5.1% की वृद्धि से उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया।
- **विनिर्माण में उछाल:** मई 2026 के 5.5% और जून 2025 के 2.4% की तुलना में, जून 2026 में विनिर्माण क्षेत्र में 23 महीने के उच्चतम स्तर यानी 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **प्रमुख विकास चालक:** यह उछाल मुख्य रूप से विनिर्माण, बिजली और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में मजबूत उत्पादन द्वारा संचालित था।
- **आधिकारिक डेटा जारी:** मासिक IIP के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
- **संभावित नकारात्मक जोखिम:** विश्लेषकों का चेतावनी देना है कि विकास की गति को उम्मीद से कम मानसून वर्षा और पश्चिमी एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):** एक चयनित आधार वर्ष (2011-12) के सापेक्ष एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि के बदलावों को मापने वाला एक समग्र संकेतक।
- **पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods):** भारी मशीनरी, उपकरण और उपकरण जैसी भौतिक संपत्ति जिनका उपयोग उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं या अन्य पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो दीर्घकालिक निवेश मांग को दर्शाती हैं।
- **विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector):** IIP का एक प्राथमिक उप-क्षेत्र जिसमें सबसे बड़ा भारांक (77.63%) है, जिसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने वाली गतिविधियां शामिल हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **वैधानिक आदेश:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित।
- **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** भारत में कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में औद्योगिक डेटा एकत्र करने के लिए वैधानिक बैकिंग प्रदान करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** सातवीं अनुसूची में संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टि 52 के साथ संरेखित है, जो संसद को राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

IIP की वृद्धि में तेज उछाल मजबूत विनिर्माण प्रदर्शन से प्रेरित होकर भारत की औद्योगिक गतिविधियों में अंतर्निहित लचीलेपन को दर्शाता है। हालाँकि, इस प्रक्षेपवक्र को बनाए रखना बाहरी आर्थिक झटकों को कम करने, मानसून की कमी को दूर करने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** औद्योगिक विकास, IIP वर्गीकरण, कोर सेक्टर संरचना, विनिर्माण विकास कारक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतक।

3. तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े कर्नाटक, पैनल ने दिया निर्देश

मुख्य बातें और सारांश

- **CWRC का जल निकासी निर्देश:** कावेरी जल विनियामक समिति (CWRC) ने कर्नाटक को 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक की दर से तमिलनाडु को 4 टीएमसीएफटी (tmcft) पानी छोड़ने का निर्देश दिया।
- **मापने का बिंदु:** कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर बिलिगुंडलू अंतर-राज्यीय मापने वाले गेज पर अनिवार्य जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **मूल्यांकन मानदंड:** यह निर्णय दोनों राज्यों में लाइव जलाशय भंडारण और बिगड़ती अल नीनो (El Niño) स्थितियों के पूर्वानुमान की जांच के बाद लिया गया।
- **कर्नाटक का रुख:** कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि वर्तमान जलाशय भंडारण केवल पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे सीडब्ल्यूएमए (CWMA) के समक्ष अपील करने की योजना बनी है।
- **तमिलनाडु का घाटा:** तमिलनाडु ने जुलाई के अंत तक अनिवार्य 35.391 टीएमसीएफटी के मुकाबले केवल 3.543 टीएमसीएफटी (कोटे का 10.01%) प्राप्त करने की सूचना दी, जिससे 9.46 टीएमसीएफटी का बैकलॉग बन गया।
- **संकट-साझाकरण संघर्ष:** तमिलनाडु ने दावा किया कि उसे कर्नाटक के जलाशयों में वास्तविक प्रवाह के सापेक्ष अपना आनुपातिक हिस्सा नहीं मिला है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **क्यूसेक (Cusec):** प्रवाह दर की एक इकाई जो एक घन फुट प्रति सेकंड के बराबर होती है, जो लगभग 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर है।
- **टीएमसीएफटी (TMCFT/TMC):** हजार मिलियन क्यूबिक फीट, बड़े जलाशयों में पानी की मात्रा के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक माप (1 TMC लगभग 28.31 बिलियन लीटर)।
- **आनुपातिक हिस्सा (Pro-rata Share):** निश्चित सामान्य आवंटन के बजाय वास्तविक बेसिन प्रवाह के आधार पर संकट या घाटे के वर्षों के दौरान छोड़े गए पानी का आनुपातिक आवंटन।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णय के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय जल संघर्षों को हल करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018:** कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और CWRC का गठन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत केंद्र द्वारा तैयार की गई।

- **प्रविष्टि 17 (राज्य सूची) और प्रविष्टि 56 (संघ सूची):** पानी की आपूर्ति पर राज्य के अधिकार बनाम अंतर-राज्यीय नदियों के संसदीय विनियमन को नियंत्रित करने वाली सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ।

निष्कर्ष

यह विवाद कमजोर मानसून के दौरान संकट के वर्षों में जल प्रबंधन की आवर्ती चुनौतियों को रेखांकित करता है। डाउनस्ट्रीम कृषि आवश्यकताओं को अपस्ट्रीम पीने के पानी की प्राथमिकताओं के खिलाफ संतुलित करने के लिए उद्देश्यपूर्ण, डेटा-समर्थित संकट-साझाकरण सूत्र स्थापित करने में CWRC और CWMA जैसे संस्थागत तंत्र महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अंतर-राज्यीय नदी विवाद, अनुच्छेद 262, सहकारी संघवाद, और वैधानिक निकाय (CWMA/CWRC)।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और कृषि):** जल संसाधन प्रबंधन, सूखे के दौरान संकट साझा करना, और नदी बेसिन पर अल नीनो जैसे जलवायु प्रभाव।

3A. केरल में दुर्लभ अमीबिक मस्तिष्क संक्रमण की सूचना

मुख्य बातें और सारांश

- **संक्रमण की सूचना:** केरल के कासरगोड जिले में अमीबिक मेनिगोएन्सेफलाइटिस (अमीबिक मस्तिष्क संक्रमण) के एक दुर्लभ और जानलेवा मामले की सूचना मिली।
- **गंभीर स्थिति:** 18 वर्षीय एक पुरुष इस गंभीर संक्रमण से पीड़ित पाया गया और मंगलुरु के एक अस्पताल में उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
- **संपर्क का माध्यम:** प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि किशोर को कान्हागढ़-पनाथूर राज्य राजमार्ग के किनारे एक स्थानीय तालाब में दोस्तों के साथ नहाने के बाद यह रोगाणु लगा।
- **तेजी से शुरुआत:** संपर्क में आने के तुरंत बाद रोगी में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं विकसित हो गईं, और बाद के नैदानिक परीक्षणों ने अमीबिक संक्रमण की पुष्टि की।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया:** राज्य स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस ने नागरिकों को अगले आदेश तक तालाब में नहाने से बचने का निर्देश देते हुए तत्काल सार्वजनिक चेतावनियाँ जारी कीं।
- **उच्च मृत्यु का जोखिम:** अमीबिक मेनिगोएन्सेफलाइटिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ प्राथमिक संक्रमण है, जिसकी विशेषता यदि समय पर पता न चले तो मृत्यु दर बेहद अधिक होती है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **अमीबिक मेनिगोएन्सेफलाइटिस (Amoebic Meningoencephalitis):** गर्म मीठे पानी के निकायों में पाए जाने वाले मुक्त-जीवित अमीबा (जैसे नेग्लरिया फाउलेरी) के कारण होने वाला मस्तिष्क और आसपास के मेनिन्जेस का एक गंभीर, अक्सर घातक संक्रमण।
- **ब्रेन-ईटिंग अमीबा:** एक सूक्ष्म एकल-कोशिका वाला जीव जो नाक के मार्ग से मानव शरीर में प्रवेश करता है, मस्तिष्क में यात्रा करता है और मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है।
- **प्राथमिक रोगजनक संपर्क:** मनोरंजक गतिविधियों के दौरान तालाबों, झीलों या बिना क्लोरीनीकरण वाले स्विमिंग पूल जैसे दूषित पानी के स्रोतों के साथ सीधे संपर्क से होने वाला संचरण।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया है।
- **नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 47):** पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के प्राथमिक कर्तव्य को अनिवार्य करता है।
- **महामारी रोग अधिनियम, 1897:** राज्य सरकारों को रोकथाम के उपाय लागू करने, सलाह जारी करने और खतरनाक बीमारी के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
- **लोक स्वास्थ्य अधिनियम (राज्य स्तर):** स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को खतरनाक प्राकृतिक जल निकायों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

दुर्लभ अमीबिक संक्रमणों का उभरना उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सतर्कता, ग्रामीण जल निकायों में जल गुणवत्ता की निगरानी और तेजी से निदान बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। जीवन के लिए खतरनाक जल जनित रोगजनकों के संपर्क को रोकने में सक्रिय सामुदायिक जागरूकता और तत्काल सलाह महत्वपूर्ण बनी हुई है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य):** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, दुर्लभ बीमारी के प्रकोप के लिए राज्य की प्रतिक्रिया, और अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार।
- **जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी):** रोगजनक, संक्रामक रोग, जैविक सुरक्षा, और जल-जनित रोगजनकों से संबंधित पर्यावरण जीव विज्ञान।

4. डिजिटल एक्सटॉर्शन के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का दुरुपयोग: दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

मुख्य बातें और सारांश

- **मेटा और केंद्र को कोर्ट का नोटिस:** दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल रचनाकारों (creators) से पैसे वसूलने के लिए बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक के दुरुपयोग को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर मेटा प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
- **टाइमस्टैंप शोषण कार्यप्रणाली:** घोटालेबाज पुरानी प्रकाशन तिथियों को बनाए रखते हुए नए वीडियो सम्मिलित करने के लिए पुरानी पोस्ट पर "Edit Post" कार्यक्षमता का उपयोग करके फेसबुक के डेस्कटॉप संस्करण में एक तकनीकी कमियों (vulnerability) का फायदा उठाते हैं।
- **स्वचालित प्रणाली की खामी:** मेटा का स्वचालित राइट्स मैनेजर टूल इन पुरानी टाइमस्टैंप पर भरोसा करता है, जिससे मूल रचनाकारों को कॉपीराइट उल्लंघनकर्ता के रूप में गलत तरीके से फ़्लैग किया जाता है और उनकी सामग्री को ब्लॉक कर दिया जाता है।
- **मानव निरीक्षण की गुहार:** याचिकाकर्ता ने जबरन वसूली रैकेट की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आग्रह किया और मेटा को मानव-समर्थित शिकायत निवारण संस्थापित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।

- **न्यायिक अवलोकन:** एक खंडपीठ ने अवलोकन किया कि डिजिटल एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) एक प्रणालीगत चुनौती पैदा करता है जिसके लिए स्वचालित फिल्टर पर कुल निर्भरता के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **शिकायत अधिकारी को निर्देश:** कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी को धोखाधड़ी वाले कॉपीराइट स्ट्राइक के संबंध में व्यक्तिगत रचनाकारों की शिकायतों को तेजी से हल करने का निर्देश दिया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **कॉपीराइट स्ट्राइक (Copyright Strike):** अनधिकृत, कॉपीराइट सामग्री को हटाने का अनुरोध करने वाले प्लेटफॉर्म को कॉपीराइट धारक द्वारा जारी एक कानूनी या प्रशासनिक नोटिस।
- **राइट्स मैनेजर (Rights Manager):** सामग्री मालिकों को उनकी कॉपीराइट ऑडियो और वीडियो सामग्री की पहचान करने, उसकी रक्षा करने और उसे प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित एक स्वचालित डिजिटल अधिकार उपकरण।
- **डिजिटल एक्सटॉर्शन (Digital Extortion):** सामग्री हटाने, प्रतिष्ठित नुकसान, या तकनीकी व्यवधान की धमकी देकर व्यक्तियों या व्यवसायों को पैसे देने के लिए मजबूर करने की आपराधिक प्रथा।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 19(1)(g):** किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें डिजिटल सामग्री निर्माण शामिल है।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** धारा 51 कॉपीराइट उल्लंघन को परिभाषित करती है, जबकि धारा 52 उचित सौदे के सिद्धांतों को कवर करती है; धारा 63 दंड अनधिकृत उल्लंघन गतिविधियों को संबोधित करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** धारा 66D कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी को दंडित करती है, और आईपीसी की धारा 383 / बीएनएस की धारा 308 जबरन वसूली के अपराध को संबोधित करती है।
- **आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** बिचौलियों (Intermediaries) को शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने और सामग्री मॉडरेटर अपील के लिए पारदर्शी, मानव-समीक्षा तंत्र स्थापित करने का आदेश देता है।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया पर कॉपीराइट प्रवर्तन तंत्र का दुरुपयोग स्वचालित एल्गोरिथम मॉडरेशन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करता है। साइबर जबरन वसूली के उभरते रूपों के खिलाफ डिजिटल आजीविका की रक्षा के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा को बिचौलिए की जवाबदेही के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और नियामक ढांचे):** बिचौलिया देयता, डिजिटल शासन, आईटी नियम 2021, और साइबरस्पेस में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा।
- **जीएस पेपर III (साइबर सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकार):** साइबर खतरे, डिजिटल जबरन वसूली, स्वचालित एआई प्रवर्तन प्रणालियों में खामियां, और डिजिटल प्लेटफार्मों पर IPR प्रबंधन।

Delhi High Court Seeks Response From Centre, Meta Over Copyright Extortion Plea



Outlook Business Desk

Updated on: 28 July 2026 6:04 pm

Published at: 28 July 2026 6:05 pm

The PIL alleged that cyber criminals manipulate Meta's copyright complaint process by editing old posts with newly created content from original creators before filing copyright claims and then demand money



5. 'वंदे मातरम' के प्रति अनादर को दंडित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के डेटा का विश्लेषण

मुख्य बातें और सारांश

- विधार्थ प्रस्ताव:** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के प्रति अनादर को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में एक संशोधन पेश किया, जिससे इसे राष्ट्रीय गान "जन गण मन" के बराबर वैधानिक संरक्षण मिलता है।
- NCRB मामले के रुझान:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 से 2024 के बीच इस अधिनियम के तहत 699 मामले दर्ज किए गए (प्रतिवर्ष औसतन 64 मामले), जो 2022 में 87 मामलों के साथ चरम पर थे और 2024 में 57 मामले दर्ज किए गए।
- गिरफ्तारी बनाम आरोप-पत्र (Chargesheets):** पुलिस ने 2014 से 2024 के बीच 1,102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, लेकिन केवल 962 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए, जिसमें आरोप-पत्र दाखिल करने की दर 2014 के 53.6% से गिरकर 2024 में 36.5% हो गई।
- कम दोषसिद्धि संख्या:** 2014 से 2024 के बीच मुकदमे को पूरा करने वाले मामलों में से केवल 60 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया जबकि 153 को बरी कर दिया गया या आरोपमुक्त कर दिया गया, जिसमें बरी किए जाने की संख्या हर साल लगातार दोषसिद्धि से अधिक रही।
- उच्च न्यायिक लंबित मामले:** मुकदमे के लिए लंबित मामले 2014 में 85 से चार गुना बढ़कर 2024 में 358 हो गए, जिसमें अधिकांश वर्षों में वार्षिक लंबित दर 90% को पार कर गई और 2024 में 95.2% तक पहुँच गई।
- अभियोजन संबंधी बाधाएँ:** 11 साल की अवधि के दौरान, औसतन केवल 43 मामले प्रतिवर्ष मुकदमे के लिए भेजे गए, और किसी भी एक वर्ष में मुकदमे के दायरे वाले मामलों के 16% से अधिक में दोषसिद्धि नहीं हुई।



आवश्यक परिभाषाएँ

- राष्ट्रीय गीत बनाम राष्ट्रीय गान:** "जन गण मन" भारत का आधिकारिक रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय गान है; "वंदे मातरम" को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है, जिसे 1950 में संविधान सभा द्वारा ऐतिहासिक रूप से समान सम्मान साझा करने के लिए घोषित किया गया था।
- लंबित दर (Pendency Rate):** किसी दिए गए सांख्यिकीय वर्ष के अंत में कानून प्रवर्तन द्वारा जांच या अदालतों द्वारा मुकदमे के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे अपराधिक मामलों का प्रतिशत।
- आरोप-पत्र दाखिल करने की दर (Chargesheeting Rate):** कुल रिपोर्ट किए गए मामलों का वह अनुपात जिसमें जांच अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया (prima facie) स्थापित होने के बाद अदालत में औपचारिक रूप से आरोप-पत्र दायर किया।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- अनुच्छेद 51A(a):** प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे।
- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971:** राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान के प्रति जानबूझकर अनादर को दंडित करने वाला वैधानिक ढाँचा; वर्तमान में राष्ट्रीय गीत के संबंध में संशोधनों से गुजर रहा है।
- बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986):** सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें यह माना गया कि मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण/अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता) राष्ट्रीय गान गाने में गैर-भागीदारी की रक्षा करते हैं बशर्ते खड़े होकर उचित सम्मान दिखाया जाए।

निष्कर्ष

'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम' के वैधानिक दायरे को "वंदे मातरम" को कवर करने के लिए विस्तारित करना राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा के लिए विधायी इरादे को दर्शाता है। हालाँकि, लगातार उच्च लंबित दर और कम दोषसिद्धि अनुपात प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुधारों और न्यायिक क्षमता-निर्माण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A), राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए वैधानिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय प्रणाली की पेंडेंसी, पुलिस जवाबदेही, और न्यायिक प्रशासन के मुद्दे।

6. ICMR की ओरल थेरेपी SHetA2 गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर (Cervical Cancer) के खिलाफ आशाजनक साबित हुई

मुख्य बातें और सारांश

- ओरल पिल में सफलता:** SHetA2 नामक एक मौखिक छोटे-अणु (small-molecule) थेरेपी ने लगातार ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमणों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में बदलने से रोकने में महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है।
- कार्य की क्रियाविधि (Mechanism of Action):** यह थेरेपी HPV-E7 वायरल प्रोटीन और विशिष्ट मानव मेजबान प्रोटीन (मोटलिन, hsc70 और GRP78) के बीच के बंधन को तोड़ती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाए बिना शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा रक्षा को कैंसर पैदा करने वाले प्रोटीन को नष्ट करने की अनुमति मिलती है।
- उच्च रोग का बोझ (Disease Burden):** गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जो 2024 में 79,000 से अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है और 36,319 मौतों का कारण बनता है, जो महिला कैंसर मामलों के 10% से अधिक का हिसाब रखता है।

- **संस्थागत सहयोग:** स्टीफेंससन कैंसर सेंटर (ओकलाहोमा विश्वविद्यालय) में खोजी गई इस थेरेपी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन और सत्यापन ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (NICPR) द्वारा किया गया, जिसमें दोनों संस्थान संयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकार रखते हैं।
- **व्यापारीकरण और नैदानिक परीक्षण:** तकनीक को बड़े मानव परीक्षणों और बाजार विकास के लिए एमक्योर फार्मास्युटिकल्स (Emcure Pharmaceuticals) को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें पांच साल तक का समय लग सकता है।
- **पहुंच में आसानी:** एक रासायनिक रूप से निर्मित, कम वजन वाली मौखिक दवा के रूप में, यह बायोलॉजिक्स या इम्युनोथेरेपी की तुलना में अधिक सामर्थ्य (affordability) का वादा करती है और अस्पताल में भर्ती होने के बोझ को कम करती है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **SHetA2:** स्वस्थ आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुँचाए बिना चुनिंदा रूप से वायरल ऑन्कोप्रोटीन को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सिंथेटिक छोटा-अणु (small-molecule) यौगिक।
- **ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV):** लगातार ऑन्कोजेनिक संक्रमण के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार एक वायरल संक्रमण।
- **सरवाइकल इंटरएपिथेलियल नियोप्लासिया (CIN):** गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर पूर्व-कैंसरयुक्त घाव जिनमें इलाज न किए जाने पर आक्रामक गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में बदलने की क्षमता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और जीवन रक्षक चिकित्सा नवाचारों तक पहुंच शामिल है।
- **अनुच्छेद 47 (directive principles):** राज्य पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने, पोषण सुरक्षित करने और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक मौलिक कर्तव्य रखता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें महिला-विशिष्ट कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा, स्तन और मौखिक) के लिए शुरुआती जांच शामिल है।
- **पेटेंट अधिनियम, 1970 और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नियम:** दवा विकास, नैदानिक परीक्षण और व्यावसायीकरण के लिए निजी फार्मास्युटिकल फर्मों के साथ साझेदारी करने के लिए ICMR जैसे सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों को सक्षम करने वाला ढाँचा।

निष्कर्ष

SHetA2 का विकास भारत में गैर-आक्रामक, सस्ती ऑन्कोलॉजिकल देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभिक जांच विधियों (पैप स्मीयर, एचपीवी डीएनए परीक्षण) और एचपीवी टीकाकरण के साथ-साथ गैर-टीका मौखिक उपचारों को एकीकृत करना भारत के गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बोझ को काफी कम कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय):** स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, और स्वास्थ्य सेवा पहुंच।

- **जीएस पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी):** जैव प्रौद्योगिकी में हालिया विकास और अनुप्रयोग, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), और गैर-संचारी रोगों का प्रबंधन।

7. शहरी शासन घाटा और भारत में अग्नि सुरक्षा

मुख्य बातें और सारांश

- **शहरी सुरक्षा विफलताएं:** जून 2026 में लखनऊ के अलीगंज में हुई आग की घटना और दिल्ली, राजस्थान तथा तमिलनाडु में पहले हुई आपदाओं सहित हालिया दुखद घटनाएं, भारत भर में शहरी सुरक्षा नियमों और प्रवर्तन में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती हैं।
- **प्रौद्योगिकी बनाम भ्रष्टाचार:** उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और जीआईएस मैपिंग जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों की व्यापक उपलब्धता के बावजूद, गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण और वोट-बैंक के दबाव के कारण शहरी खतरे बने हुए हैं।
- **प्राधिकरण का विखंडन:** कई असंगठित निकायों के बीच प्रशासनिक प्राधिकार का विखंडन एक जवाबदेही निर्वात (accountability vacuum) पैदा करता है, जो प्रभावी स्थानीय शासन और सक्रिय आपदा न्यूनीकरण को रोकता है।
- **नौकरशाही की जाँच:** नौकरशाही की आत्म-जाँच अक्सर उच्च-स्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों को बचाती है, और वास्तविक प्रणालीगत सुधार की जगह सतही आक्रोश प्रबंधन ले लेता है।
- **स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण:** शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, भवन मानदंडों के निर्भीक प्रवर्तन को सुनिश्चित करना, और राजनीतिक सुविधा के बजाय मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देना सतत शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **शहरी शासन घाटा (Urban Governance Deficit):** शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करने, सुरक्षा नियमों को लागू करने और जवाबदेही बनाए रखने में नगरपालिका और राज्य संस्थानों की विफलता।
- **जवाबदेही निर्वात (Accountability Vacuum):** कई एजेंसियों के बीच ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार के कारण होने वाला एक नियामक शून्य, जिससे प्रणालीगत विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, हालांकि वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रभावी हस्तांतरण अधूरा है।

- **भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (NBC):** भवनों में अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक डिजाइन और खतरे की रोकथाम के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिन्हें भ्रष्ट प्रवर्तन प्रथाओं के कारण नियमित रूप से तोड़ा जाता है।
- **राज्य नगर निगम अधिनियम और अग्नि सुरक्षा कानून:** स्थानीय अधिकारियों को इमारतों का निरीक्षण करने, सुरक्षा निकासी जारी करने और अनधिकृत निर्माणों को दंडित करने का अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

भारत में शहरी सुरक्षा संकट विखंडित अधिकार, नियामक उदासीनता और से समझौता किए गए प्रवर्तन की विशेषता वाले गहरे संरचनात्मक रोग के लक्षण हैं। सच्चे शहरी सुधार के लिए मानव जीवन की रक्षा करने में सक्षम, सशक्त, पारदर्शी और सख्ती से जवाबदेह स्थानीय संस्थानों को स्थापित करने के लिए अलंकृत स्मार्ट सिटी योजनाओं से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघवाद से संबंधित चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और शासन में चुनौतियां।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** आपदा प्रबंधन, शहरी योजना, तेजी से शहरीकरण की चुनौतियां, बुनियादी ढांचा प्रबंधन, और संस्थागत भ्रष्टाचार से जुड़े आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां।

8. विकेंद्रीकरण बनाम नौकरशाही: पश्चिम बंगाल पंचायत संशोधन संकट

मुख्य बातें और सारांश

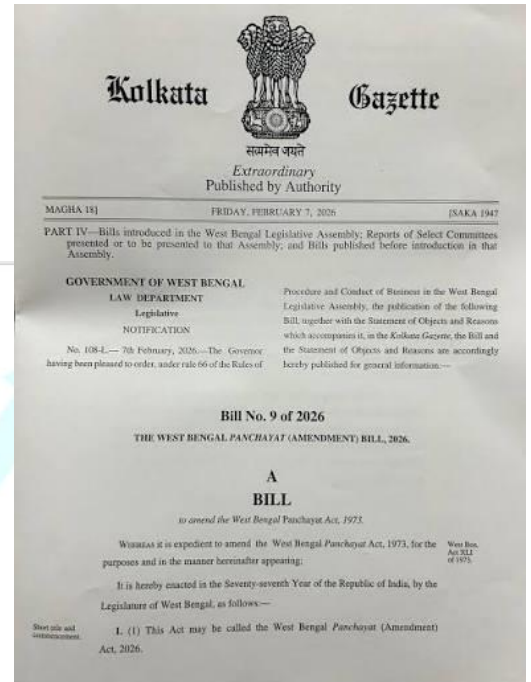
- **प्रशासनिक शक्तियों में कटौती:** जुलाई 2026 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने चुने हुए पंचायत प्रधानों और नगरपालिका अध्यक्षों को प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से वंचित कर दिया, और जन्म-मृत्यु पंजीकरण को समर्पित सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया।
- **चेक-हस्ताक्षर अधिकार:** पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2026 ने पंचायत सचिवों और ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) जैसे नौकरशाहों को चेक-हस्ताक्षर और वित्तीय वितरण के अधिकार स्थानांतरित कर दिए।
- **भ्रष्टाचार पर अंकुश:** राज्य सरकार ने स्थानीय संसाधन प्रबंधन से जुड़े व्यापक भ्रष्टाचार, अवैध कमीशन और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में बदलावों को उचित ठहराया।
- **विशेष गहन संशोधन (SIR):** प्रशासनिक बदलाव एक विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद आता है और अवैध अप्रवासियों की पहचान करने पर बढ़े हुए राजनीतिक फोकस के बीच, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पर जांच को कड़ा करना है।
- **राजनीतिक दृष्टिकोण:** चूंकि स्थानीय स्तर के लगभग 90% प्रतिनिधि विपक्ष से संबंधित हैं, इसलिए आलोचक शक्ति के केंद्रीकरण को 2028 के चुनावों से पहले जमीनी नेतृत्व को दरकिनार करने के लिए एक रणनीतिक राजनीतिक पैतरेबाज़ी के रूप में देखते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **जमीनी लोकतंत्र (Grassroots Democracy):** शासन की एक ऐसी प्रणाली जो स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से लोकप्रिय भागीदारी और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर जोर देती है।
- **नौकरशाही का केंद्रीयकरण (Bureaucratic Centralization):** चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय राज्य-नियुक्त सरकारी अधिकारियों के भीतर प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार का संकेंद्रण।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, एक अनिवार्य त्रि-स्तरीय संरचना की स्थापना की और आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियाँ सौंपीं।
- **पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973:** केंद्रीय संशोधन से पहले अधिनियमित एक अग्रणी राज्य कानून जिसने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन की नींव रखी।
- **पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2026:** हालिया राज्य कानून जो चुने हुए प्रधानों से नौकरशाहों को वित्तीय वितरण और वैधानिक पंजीकरण कर्तव्यों को पुनर्वितरित करके 1973 के अधिनियम को संशोधित करता है।



निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल में पंचायत शक्तियों में कटौती प्रशासनिक दक्षता और जमीनी लोकतंत्र के बीच चल रहे तनाव को उजागर करती है। जबकि भ्रष्टाचार से निपटना और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण शासन उद्देश्य हैं, चुने हुए स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करना विकेंद्रीकृत स्व-शासन के मूल संवैधानिक इरादे से समझौता करने का जोखिम उठाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज; सरकार के मंत्रालय और विभाग; स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का विकेंद्रीकरण और उसमें चुनौतियाँ।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, शासन की चुनौतियाँ, पारदर्शिता, और लोक प्रशासन में जवाबदेही।

9. केंद्र ने पश्चिमी घाट इको-ज़ोन पर मसौदा अधिसूचना को फिर से जारी किया

मुख्य बातें और सारांश

- **मसौदा अधिसूचना का पुनरुत्थान:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले मसौदों के व्यपगत (lapse) होने के बाद, छह पश्चिमी घाट राज्यों में 56,825.7 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) का प्रस्ताव करने वाली अपनी मसौदा अधिसूचना को सातवीं बार फिर से जारी किया।
- **सख्त प्रतिबंध:** नवीनतम मसौदा सार्वजनिक आपत्तियों के लिए 60 दिनों की खुली खिड़की बनाए रखता है और ईएसए (ESA) के भीतर खनन, उत्खनन, रेत खनन, नए ताप विद्युत संयंत्रों और बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर सख्त प्रतिबंधों को दोहराता है।
- **स्थायी गतिरोध:** लगातार गतिरोध विशिष्ट ग्राम सीमाओं और विकासात्मक प्रभावों के संबंध में केंद्र और छह राज्यों—गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु—के बीच लंबे समय से चली आ रही असहमति से उपजा है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** संरक्षण बहस 2011 की माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें पूरी पर्वत श्रृंखला को संवेदनशील मानने की सिफारिश की गई थी, और 2013 की कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट से, जिसने इस क्षेत्र के 37% या 59,940 वर्ग किलोमीटर की रक्षा की वकालत की थी।
- **राज्यों की चिंताएं:** राज्य सरकारें इस बात से गहरी चिंतित हैं कि ईएसए घोषणा स्थानीय कृषि, मौजूदा बागानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण आर्थिक विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगी।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA):** विकास गतिविधियों को विनियमित करने, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने और पारिस्थितिक क्षरण को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत अधिसूचित एक क्षेत्र।
- **वहन क्षमता (Carrying Capacity):** अधिकतम जनसंख्या या औद्योगिक और कृषि गतिविधि का स्तर जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थायी पर्यावरण क्षति के बिना स्थायी रूप से समर्थन कर सकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित क्षेत्रों में औद्योगिक संचालन, खनन और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(g):** भारत के संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य जो राज्य और नागरिकों को वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का आदेश देते हैं।

निष्कर्ष

पश्चिमी घाट मसौदा अधिसूचना का बार-बार पुनरुत्थान भारत में पारिस्थितिक संरक्षण और विकासात्मक अनिवार्यताओं के बीच नाजुक संतुलनकारी अधिनियम को रेखांकित करता है। इस लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को हल करने के लिए समावेशी आम सहमति-निर्माण, जमीनी वास्तविकताओं के वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और सहभागी योजना की आवश्यकता है जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की रक्षा करते हुए राज्य की चिंताओं को संबोधित करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों से जुड़ी आपदा प्रबंधन चुनौतियां।
- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** अंतर-राज्यीय समन्वय, संघीय गतिशीलता, और राज्यों में केंद्रीय पर्यावरण नीतियों को लागू करने में चुनौतियां।

10. अध्ययन में पाया गया कि भारत में कई डेंगू वायरस स्ट्रेन एक साथ घूम रहे हैं

मुख्य बातें और सारांश

- **देशव्यापी निगरानी अध्ययन:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा एक हालिया दो-वर्षीय राष्ट्रव्यापी निगरानी अध्ययन (2023-2025) से पता चला है कि भारत के कई हिस्सों में सभी चार डेंगू वायरस सेरोटाइप एक साथ घूम रहे हैं।
- **प्रमुख स्ट्रेन:** अध्ययन ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 45 प्रयोगशालाओं से 6,889 प्रयोगशाला-पुष्ट नमूनों का विश्लेषण किया, जिसमें DENV-2 को सभी संक्रमणों आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार प्रमुख स्ट्रेन के रूप में पहचाना गया।
- **सह-संक्रमण:** लगभग 7% या लगभग 1 में से 14 मरीज एक साथ दो या दो से अधिक डेंगू सेरोटाइप से संक्रमित थे, जो खतरनाक रूप से कम प्लेटलेट काउंट और रक्तस्राव जटिलताओं जैसी गंभीर बीमारी अभिव्यक्तियों से मजबूती से जुड़ा हुआ है।
- **हाइपर-एंडेमिकता:** आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी चार सेरोटाइप की उपस्थिति की सूचना दी, जबकि 15 ने तीन के एक साथ घूमने की सूचना दी, जो देश में हाइपर-एंडेमिकता के उद्भव का संकेत देता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां:** निष्कर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, टीका रोलआउट और वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों के लिए नए सिरे से चुनौतियां पैदा करते हैं, जो निरंतर सेरोटाइप निगरानी और एकीकृत रोग प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **हाइपर-एंडेमिकता (Hyper-Endemicity):** एक ऐसी स्थिति जहां किसी रोगजनक के कई स्ट्रेन या सेरोटाइप उच्च और निरंतर स्तर पर एक क्षेत्र के भीतर एक साथ घूमते हैं।
- **सेरोटाइप (Serotype):** बैक्टीरिया या वायरस की प्रजातियों के भीतर या विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बीच एक विशिष्ट भिन्नता, उनके सतह एंटीजन के आधार पर वर्गीकृत की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **महामारी रोग अधिनियम, 1897:** केंद्रीय और राज्य सरकारों को खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए विशेष उपाय करने और नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47:** अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, जबकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

भारत में कई डेंगू वायरस स्ट्रेन का एक साथ घूमना और हाइपर-एंडेमिकता का उद्भव एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। इस उभरते खतरे से निपटने के लिए जीनोमिक निगरानी को मजबूत करने, स्वदेशी वैक्सीन विकास में तेजी लाने और गंभीर रुग्णता और मृत्युशीलता को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, और रोग प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन में प्रभाव, स्वास्थ्य सुरक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन।

11. ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने सौर ऊर्जा में कटौती की

मुख्य बातें और सारांश

- **सौर ऊर्जा की कटौती:** ग्रिड सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 8,133 गीगावाट-घंटे (GWh) सौर ऊर्जा में कटौती की।
- **कारण:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संसद को सूचित किया कि प्रतिबंध ट्रांसमिशन लाइनों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कमीशनिंग के बीच बेमेल होने के कारण था।
- **मासिक आंकड़े:** मासिक कटौती के आंकड़े अप्रैल में 2,417 GWh, मई में 3,235 GWh और जून में 2,481 GWh थे।
- **स्थापित क्षमता:** 30 जून तक, भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 162.15 GW तक पहुंच गई, जिसमें 125.6 GW उपयोगिता-पैमाने की परियोजनाएं, 30.11 GW छत की परियोजनाएं और 6.43 GW ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं शामिल हैं।
- **पीएम सूर्य घर योजना:** फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के तहत, 39.7 लाख से अधिक छत पर सौर प्रणाली स्थापित की गई हैं, जिसमें 27,343.9 करोड़ रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 27 जून तक वितरित किए गए हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **पावर कर्टेलमेंट (Power Curtailment):** आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए ग्रिड ऑपरेटरों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर से आउटपुट की जानबूझकर की जाने वाली कमी जो अन्यथा उत्पादित हो सकती थी।
- **ग्रिड स्थिरता (Grid Stability):** सामान्य परिस्थितियों और अचानक गड़बड़ी के दौरान संतुलन की स्थिति और निरंतर संचालन बनाए रखने की इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की क्षमता।

Wasted energy

Restriction due to mismatch between commissioning of transmission lines and renewable energy projects, MoS tells House



■ Curtailment is when power-grid operators limit output from generating sources

■ 2,417 GWh of solar energy curtailment was carried out in April this year

■ 3,235 GWh of solar energy was restricted in May and 2,481 GWh in June

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **विद्युत अधिनियम, 2003:** भारत में बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानूनी ढाँचा, जो विनियामक oversight के तहत ग्रिड एकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और बिजली व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति:** केंद्रीय और राज्य नियामकों को नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड आधुनिकीकरण और इष्टतम पारेषण योजना की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष

सौर ऊर्जा की बड़े पैमाने पर कटौती तेजी से विस्तार कर रहे नवीकरणीय क्षमताओं के बीच पारेषण बुनियादी ढांचे और ग्रिड प्रबंधन में महत्वपूर्ण बाधाओं को रेखांकित करती है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए पारेषण लाइन कमीशनिंग में तेजी लाने, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को तैनात करने और भारत की हरित ऊर्जा क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए ग्रिड लचीलेपन को बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे, आदि; और पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, और जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौतियां।
- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

12. तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र के मेकेदातु बांध रुख की समीक्षा का आग्रह किया

मुख्य बातें और सारांश

- **मुख्यमंत्री का पत्र:** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मेकेदातु बांध परियोजना के संबंध में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए गए संसदीय उत्तर को वापस लेने का आग्रह किया।
- **केंद्र का रुख:** राज्यसभा में केंद्र के विवादास्पद उत्तर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला स्पष्ट रूप से कर्नाटक से यह अपेक्षा नहीं करता है कि वह कावेरी पर संरचनाओं के निर्माण से पहले नीचे के रिपेरियन राज्यों की सहमति प्राप्त करे।

- **कानूनी सिद्धांतों का हवाला:** सीएम विजय ने तर्क दिया कि केंद्र का रुख तय कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करता है, जिसमें अलमट्टी बांध मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है जो नीचे की ओर सहमति को अनिवार्य बनाता है।
- **ट्रिब्यूनल अवार्ड:** उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेकेदातु परियोजना का मूल्यांकन केवल एक इंजीनियरिंग प्रस्ताव के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम पुरस्कार के खिलाफ कड़ाई से परखा जाना चाहिए।
- **अनुबंध और खंड:** पत्र सीडब्ल्यूडीटी पुरस्कार के विशिष्ट खंडों को उजागर करता है, जिसमें खंड XI और खंड XX शामिल हैं, जो ऊपरी रिपेरियन राज्यों को आपसी समझौते के बिना अनुसूचित पानी के वितरण को बदलने से प्रतिबंधित करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **रिपेरियन स्टेट्स (Riparian States):** वे राज्य जिनसे होकर या जिनके साथ एक प्राकृतिक जलमार्ग, जैसे कि एक अंतर-राज्यीय नदी बहती है, पानी के उपयोग से संबंधित साझा अधिकारों और दायित्वों को वहन करती है।
- **निचला रिपेरियन राज्य (Lower Riparian State):** नदी के मु मुहाने के करीब स्थित नीचे की ओर का एक राज्य, जो ऊपरी रिपेरियन न्यायक्षेत्रों द्वारा विनियमित अपस्ट्रीम प्रवाह पर बहुत अधिक निर्भर है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा

- **संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णय के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956:** राज्यों के बीच जल-साझाकरण विवादों को हल करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों (ad hoc tribunals) के गठन के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण अंतिम पुरस्कार:** 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्ट और संशोधित, सटीक पानी के आवंटन, विनियमित प्रवाह regimes, और अनिवार्य परामर्श प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित मेकेदातु संतुलन जलाशय पर विवाद भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल शासन में लगातार घर्षण को उजागर करता है। सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने और निचले रिपेरियन आबादी के आजीविका अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक घोषणाओं और न्यायाधिकरण पुरस्कारों की पवित्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन पेपर II:** अंतर-राज्यीय संबंध, विवाद निवारण के लिए तंत्र, शक्तियों का पृथक्करण, और संघीय शासन में न्यायपालिका और न्यायाधिकरणों की भूमिका।
- **सामान्य अध्ययन पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव प्रबंधन, और नदी बेसिनों में जल संसाधन योजना।

JULY 29, 2026

